न्यायालय– जिलाधिकारी, सहरसा।

विविध वासगीत अपील 175/2009–10

फनी तॉती बनाम राज्य

आदेश

प्रस्तुत विविध रेभेन्यु अपील फनी तॉती द्वारा बिहार सरकार वगैरह के विरूद्ध दाखिल किया गया है।

अपीलार्थी ने वासगीत पर्चा अभिलेख संख्या– 11/2006–07 में अंचल अधिकारी सोनवर्षा द्वारा विवादी जमीन मौजा– पदमपुर, थाना नं0– 13, अंचल– सोनवर्षा, जिला– सहरसा के खाता नया– 180, खेसरा नया– 294 रकवा 7 डी0 का नाजायज वो गैरकानूनी ढंग से बहुत कवल मरे हुए खतियानी रैयत भदई तांती को पक्षकार बनाकर दिनांक– 13.10.2006 को पारित आदेश करवा लिये है, को चुनौती देते हुए इसे निरस्त करने की मांग की है।

अपीलार्थी का कहना है कि दिनांक– 07.10.1996 नविस्ते जयचन्द्र यादव बहक रज्जन दास, पिता– स्वर्गीय भदेय दास का फोटो कापी दाखिल करते हैं, जिससे अपीलकर्त्ता इस बात को साबित करते हैं कि वर्ष 1996 से कवल भदई तांती स्वर्गीय हो चुके है तो वर्ष 2006 में वासगीत केश नं0– 11/2006–07 में दिनांक– 13.10.2006 में मरे हुए व्यक्ति भदई तांती के विरूद्ध आदेश पारित कराये है तो कानून 1999 {2} Current civil cases 63 Orissa High Court page 63-A Decree against dead person decree is a nullity. विवादी जमीन का हाल सर्वे खतियान खाता नया 180 खेसरा नया 294 रकवा 17 डी0 नाम से भदई तांती, पिता– कनमु तांती वो जगदम्बी तांती, पिता– जानकी तांती जाति– ततमा, निवासी– निजग्राम अंकित है जिसका जमाबंदी नं0– 180 भदई तांती के नाम से दर्ज होकर सरकारी मालगुजारी रसीद हासिल होते आ रहा है। साथ ही उन्होंने खाता नं0– 180 के खतियानी रैयत भदई तांती अपने तीन पुत्र फनी तांती, अर्जुन तांती उर्फ दलदल तांती, रजन तांती को बहुत कवल स्वर्गीय हो गये है, यानि रजन तांती ने दिनांक– 7.10.1995 में केवाला तामिल कराये है, उस केवाला में अपने पिता का नाम में स्व0 भदई तांती अंकित किए है इसका तात्पर्य वर्ष 1996 ई0 से कवल भदई तांती स्वर्गीय हो गये है।

वर्ष 2006 में अपीलकर्त्ता की जमीन का मरे हुए व्यक्ति के विरूद्ध वासगीत पर्चा लेना, जिस रूह से उक्त वासगीत पर्चा केश 11/2006/07 में पारित आदेश श्रीमान् के द्वारा सेट एसाईड किया जाना न्यायहित में जरूरी है। रेस्पोण्डेंट द्वितीय पक्ष को अपनी मरोसी मकान मय सहन की जमीन रहते हुए इस अपीलकर्त्ता की मकान मय सहन जमीन का वासगीत पर्चा बनवा लिए है जो नाजायज वो गलत है। रेस्पोण्डेन्ट नरेश तांती अपने पिता– परमेश्वरी तांती के साथ इजमाल में रहते है। वासगीत पर्चा में परमेश्वरी तांती जीवित है और परमेश्वरी तांती ने अपने पुत्र नरेश तांती रेस्पोण्डेन्ट नं0–3 के इजमाली हालत में वजरिये केवाला दस्तावेज संख्या– 13528 वर्ष 2005 दिनांक– 28.09.2005 ई0 को नविस्ते श्रीमति मैथरी देवी से 5 कट्ठा 2 धूर जमीन खरीद किये है जो रेस्पोण्डेंट नं0–3 नरेश तांती झूठा वो गलत भूमिहीन दर्ज कर वासगीत पर्चा का आदेश रेस्पोण्डेंट प्रथम पक्ष को मेल में लेकर आदेश पारित करा लिए है, जो Set Aside के काविल है। अंततः अपीलार्थी सोनवर्षा के द्वारा पारित आदेश दिनांक– 13.06.2006 को निरस्त कर अपील स्वीकृत करने की याचना किया गया है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख के साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। भूधारी भदई तॉंती को नोटिस निर्गत किया गया, जबकि इनकी मृत्यु हो गई है। इसकी पुष्टि नोटिस के तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है। इसके वारिशान फनी तांती ने नोटिस प्राप्त किया है प्राप्तकर्त्ता के रूप में अपना नाम लिखा एवं पिता का नाम स्व0 भदई तॉंती लिखा है। मृत व्यक्ति के नाम पर नोटिश निर्गत कर इसके आधार पर वासगीत पर्चा निर्गत करने का निर्णय वैद्य नहीं है। अतः अंचल अधिकारी, सोनवर्षा को निदेश दिया जाता है कि वे भूधारी स्व0 भदई तांती के वारिशान को नोटिश निर्गत कर उनके पक्ष को सुनकर विधि सम्मत आदेश पारित करें।

उक्त आदेश के साथ वाद निष्पादित किया जाता है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

समाहर्त्ता
सहरसा।

समाहर्त्ता
सहरसा।

ज्ञापांक 551–2 /जिला विधि, सहरसा, दिनांक– 11 मार्च 2015 ई.।

प्रतिलिपि– अंचल अधिकारी, सोनवर्षा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिले के बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।
11·3·15

(120)